

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 439 / 13

संस्थापन दिनांक:-23 / 10 / 13

फाईलिंग नं. 233504000822013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

पप्पू उर्फ सूबेदास पिता चैतु मेहरा,
उम्र 41 वर्ष, निवासी मेन रोड बोड़खी आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 06.12.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.08.2013 को 01:00 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत ग्राम कन्हड़गांव में अपने खेत वाले घर के सामने फरियादी मुकेश को लोहे की कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 24.08.2013 को अभियुक्त द्वारा उसके दोस्त राजेंद्र के साथ दिनांक 14.08.2013 को की गयी मारपीट के संबंध में समझाने ग्राम कन्हड़गांव स्थित अभियुक्त के खेत वाले घर गया था जहां उसने अभियुक्त से कहा कि उसने राजेंद्र के साथ मारपीट क्यों किया है उसका ईलाज करवाओ तो अभियुक्त ने उसे मादरचोद तुम समझाने वाले कौन होते हो कहकर उसके साथ मां बहन की बुरी बुरी गालियां दी जिस पर उसने अभियुक्त को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट किया जिससे उसे पेट में बांये तरफ तथा सिर में पीछे बांये तरफ चोट आयी। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 256 / 13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा०द०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.08.2013 को 01:00 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत ग्राम कन्हड़गांव में अपने खेत वाले घर के सामने फरियादी मुकेश को लोहे की कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?”

II. विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार II

6 मुकेश (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना तीन वर्ष पुरानी होकर ग्राम कन्हणगांव स्थित अभियुक्त के खेत वाले घर के सामने की दोपहर 1 बजे की है। घटना के समय वह अभियुक्त पप्पू को समझाने उसके घर गया था और उसने अभियुक्त से बोला कि तूने राजेंद्र के साथ मारपीट क्यों किया है। इसी बात पर से नाराज होकर अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और हाथ मुक्कों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी जिससे उसे सिर एवं पेट में चोटें आयी थीं। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) थाने में की थी।

7 रामचरण (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में कोई भी कथन प्रकट नहीं किये हैं। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रति परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। आहत/फरियादी मुकेश (अ.सा.-2) द्वारा भी अभियोजन की घटना का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को उसे कुल्हाड़ी से सिर एवं पेट में मारपीट किया था जिससे उसे गंभीर चोटें आयी थीं।

8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर हाथ मुक्को से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी जाना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा धारदार कुल्हाड़ी से आहत/फरियादी को चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी मुकेश को लोहे की कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त पप्पू उर्फ सूबेदास को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

10 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)